राज्य विधानसभा : संगठन एवं शक्ति

(STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY : ORGANIZATION & POWERS)

भारतीय संविधान के **'अनुच्छेद 1'** में भारत को **'राज्यों का संघ'** कहा गया है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप ही राज्यों में भी केन्द्र के समान ही राज्य विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है। संविधान के 'अनुच्छेद 168' के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमण्डल होगा जो राज्यपाल व दो सदनों या एक सदन से मिलकर बनेगा। जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधानसभा होगा। वर्तमान समय में 28 राज्यों में से 23 राज्यों में एक सदनात्मक राज्य विधानमण्डल है, केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमण्डल कार्यरत है।

मध्यप्रदेश में केवल एक सदन अर्थात प्रथम व निम्न सदन विधानसभा है। हम यहाँ राज्य विधानमंडल का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

विधानसभा (Legislative Assembly)- राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन **'राज्य विधानसभा'** कहलाता है, जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। 'अनुच्छेद 170' में कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक व 60 से कम नहीं होगी। इस प्रकार प्रत्येक राज्य के राज्य विधानमण्डल की सदस्य संख्या भिन्न-भिन्न होगी, क्योंकि यह संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। चुनाव के लिये प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75 हजार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। नवीन जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा साथ ही राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि यदि उसकी यह राय है कि आंग्ल-भारतीय समुदाय का विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। भारत में 29 राज्यों की राज्य विधान मण्डल तथा केन्द्र शासित राज्यों में विधानसभा व विधान परिषद की सदस्य संख्या निम्न अनुसार है-

विधानसभा

क्र.	राज्य	सदस्य संख्या	क्र.	राज्य	सदस्य संख्या
1.	उत्तरप्रदेश	403	2.	आन्ध्रप्रदेश	175
3.	पं. बंगाल	295	4.	महाराष्ट्र	288
5.	बिहार	243	6.	तमिलनाडु	235
7.	मध्यप्रदेश	230	8.	कर्नाटक	225
9.	राजस्थान	200	10.	गुजरात	182
11.	उड़ीसा	147	12.	केरल	141
13.	असम	126	14.	पंजाब	117
15.	हरियाणा	90	16.	छत्तीसगढ़	91

Scanned with CamScanner

17.	जम्मू और काश्मीर	87	18.	झारखण्ड	82
19.	उत्तरांचल	71	20.	हिमाचल प्रदेश	68
21.	अरुणाचल प्रदेश	60	22.	मणिपुर	60
23.	मेघालय	60	24.	नगालैण्ड	60
25.	त्रिपुरा	60	26.	मिजोरम	40
27.	गोआ	40	28.	सिक्किम	32
			29.	तेलंगाना	119
केन्द्र शासित प्रदेश					
1.	दिल्ली	70	2.	पांडिचेरी	30
विधान परिषद					
1.	उत्तरप्रदेश	99	2.	बिहार	75
3.	महाराष्ट्र	78	4.	जम्मू और काश्मीर	36
5.	कर्नाटक	63	6.	आन्ध्रप्रदेश	58
			7.	तेलंगाना	40

राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान- 1962 में अनुसूचित जातियों के लिए 475 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 222 स्थान थे। 1967 में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 503 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 262 हो गए। 20 दिसम्बर, 1975 को जो नवीनतम निर्वाचन क्षेत्रांकन हुआ, उसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों में 539 स्थान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 282 स्थान आरक्षित हैं। 1986 में विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए 557 स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 315 स्थान आरक्षित थे।

(1) **सदस्यों की योग्यताएँ** (Qualification of Members)- भारतीय संविधान में विधानसभा के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ रखी गयी हैं-

(i) वह भारत का नागरिक हो;

(ii) 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और

(iii) ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाएँ।

(iv) ऐसे व्यक्तियों को जो दिवालिए हैं, अथवा पागल हैं या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर स्थित हैं, विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं होने दिया जाता है।

(2) **अयोग्यताएँ** (Disqualifications)- विधानसभा सदस्य की अयोग्यताएँ निम्न अनुसार हो सकती हैं-

(i) न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया हो।

(ii) दिवालिया हो।

(iii) किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली हो।

Scanned with CamScanner

(iv) संसद विधि के द्वारा योग्य न हो।

(3) **कार्यकाल** (Tenure)- 42वें संशोधन के अनुसार विधानसभा की अवधि **5 वर्ष की बजाय 6 वर्ष कर दी** गई थी, परन्तु यह इससे पूर्व भी राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। संकटकालीन घोषणा के समय संसद इस अवधि को बढ़ा सकती है, परन्तु ऐसी परिस्थिति में संसद इस अवधि को एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती और संकटकालीन घोषणा के समाप्त होने के पश्चात् 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकती।

विधानसभाओं की अवधि को पुनः 6 वर्ष की बजाय 5 वर्ष करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने 7 अप्रैल, 1977 को एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। 13 अप्रैल, 1978 को यह कानून बन गया। अतः अब विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष ही है।

(4) **विशेषाधिकार** (Privileges)- विधानसभा के सदस्य को भी संसद के सदस्यों की भाँति भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध वे चाहे कुछ कह जायें, परन्तु उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। विधानसभा के अधिवेशन के दिनों में उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है।

(5) **गणपूर्ति** (Quorum)- जिस विधानसभा की बैठक में **10 सदस्य** या समस्त **संख्या का दसवाँ भाग** जो भी इसमें से अधिक हो उपस्थित न हों तो वह वैध बैठक नहीं समझी जायेगी। इसलिए विधानसभा की तभी बैठक हो सकती है, जबकि इसमें निश्चित संख्या उपस्थित हो, वरना बैठक स्थगित कर दी जाती है।

(6) **सत्र** (Sessions)- एक वर्ष के भीतर विधानसभा के **कम-से-कम दो अधिवेशन** होने चाहिए। पहले अधिवेशन के अन्त में और दूसरे अधिवेशन के प्रारम्भ में छह मास से अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को बुलाता है। वह उसके अधिवेशन को समाप्त भी कर सकता है।

(7) **विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष** (Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly)- विधानसभा को अपना अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी चुनने का अधिकार है। विधानसभा के अध्यक्ष का सबसे मुख्य कार्य यह है कि विधानसभा में सभी कार्यवाहियों को नियमों और विनियमों के अनुसार चलाए। यह विधानसभा में शान्ति रखता है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य अपना भाषण नहीं दे सकता। अध्यक्ष अपने चुनाव के पश्चात् किसी भी दल का पक्षपात नहीं करता। वह सब दलों के सदस्यों को बोलने का बराबर अवसर देता है। वह अपने निर्वाचन के पश्चात् किसी दल की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग नहीं लेता है, परन्तु उसको निर्णायक मत भी देने का अधिकार है।

यदि विधानसभा अपनी अवधि से पूर्व विघटित कर दी जाये तो अध्यक्ष के पद की समाप्ति नहीं होती। वह अपने पद पर नई विधानसभा के अधिवेशन तक आसीन रहता है। तब विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस समय अध्यक्ष उस बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा, बल्कि उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार जब उपाध्यक्ष के हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो तो वह उस बैठक का सभापतित्व नहीं कर सकता। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उस समय विधानसभा में बोलने और इसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। वह किसी समय भी अपना त्याग-पत्र दे सकता है। अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष के पास भेजेगा। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाया भी जा सकता है, यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से कोई प्रस्ताव इस हेतु पास कर दिया जाये। ऐसे प्रस्ताव को विधानसभा में पेश करने से पहले 14 दिन की सूचना भी आवश्यक है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को राज्य की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिये जाते हैं।

Scanned with CamScanner

(8) **वेतन व भत्ते** (Pay & Allowances)- सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के वेतन व भत्ते एक समान नहीं हैं, क्योंकि उनके वेतन-भत्ते संबंधित विधानमण्डलों द्वारा निर्धारित होते हैं। उनको मासिक वेतन के अतिरिक्त अधिवेशन के दिनों में दैनिक भत्ता व निःशुल्क आवास भी दिया जाता है।

इस प्रकार विधानसभा की संरचना की जाती है। अब हम यहाँ विधानसभा की शक्तियों का अध्ययन करेंगे।

विधानसभा की शक्तियाँ
(Powers of Legislative Assembly)

विधानसभा को अनेक प्रकार की विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राज्य-सूची में कुल विषयों की संख्या 62 है। इसके अतिरिक्त इसे समवर्ती-सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार है, परन्तु समवर्ती-सूची पर संसद भी कानून बना सकती है। इसलिए संविधान में यह नियम रखा गया है कि दोनों के विरोध होने पर संसद का कानून वैध (Legal) समझा जायेगा और विधानसभा का कानून अवैध घोषित कर दिया जायेगा। समवर्ती-सूची में 52 विषय दिये गये हैं। विधानसभा की शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं—

(1) **वित्तीय शक्तियाँ** (Financial Powers)- विधानसभा को अनेक प्रकार के वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं- (i) बजट पर इसका पूर्ण नियंत्रण है। विधान-परिषद किसी धन-विधेयक को केवल 14 दिन के लिए विलम्बित कर सकती है। (ii) वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पूर्व वित्त मंत्री विधानसभा के सामने बजट पेश करता है। बजट में गत वर्ष के खर्चे और आमदनी के संक्षिप्त उल्लेख के अतिरिक्त आगामी वर्ष की आय तथा खर्चे का वर्णन मिलता है। (iii) विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य के लोगों पर कोई नये टैक्स नहीं लगाये जा सकते। बजट के प्रायः दो भाग राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय तथा अभारित व्यय आदि किए जाते हैं। (iv) राज्यपाल व उच्च न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों को छोड़ अर्थात् अभारित व्यय पर विधानसभा का पूर्ण नियन्त्रण रहता है।

(2) **कार्यपालिका का नियंत्रण** (Control on Working Committee)- राज्य में विधानसभा को कार्यपालिका संबंधी निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं— (i) विधानसभा का राज्य की वास्तविक कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद पर भी पूर्ण नियंत्रण रहता है। (ii) मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। (iii) विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री के वेतन में कटौती, मंत्रियों द्वारा रखे हुए किसी महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार करके या मंत्रियों के घोर विरोध करने पर भी किसी विधेयक को पास करके मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी प्रकट कर सकती है। (iv) विधानसभा के सदस्य, मंत्रियों से प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं।

(3) **विधायी शक्तियाँ** (Legislative Powers)- विधायी शक्तियों के अन्तर्गत विधानसभा को संविधान संशोधन से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें साधारण विधेयकों के बारे में विधानसभा के पास विधान-परिषद से बहुत अधिक अधिकार हैं। जब विधानसभा किसी विधेयक को पास कर देती है तो वह विधान-परिषद के पास भेजा जाता है। विधान-परिषद उस समय निम्नलिखित तीन कार्यवाहियाँ कर सकती है-

(a) उस विधेयक को अस्वीकार कर दे,

(b) तीन मास तक उस पर कोई कार्यवाही न करे, या

(c) उसमें ऐसे संशोधन पेश करे जिनसे विधानसभा सहमत न हो।

इसके पश्चात् विधानसभा उस विधेयक को संशोधनों सहित अथवा संशोधनों के बिना दुबारा पास करके विधान-परिषद के पास भेजेगी। उस समय यदि विधान-परिषद उसे अस्वीकार कर दे, या इस पर एक मास तक कोई कार्यवाही न करे, अथवा ऐसे संशोधन पेश करे जो विधानसभा को सर्वथा अमान्य हों

Scanned with CamScanner

तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास किया हुआ समझा जायेगा। इसके पश्चात् वह विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल या तो उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है या उसको राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर लेता है अथवा इसको पुनर्विचार के लिए विधान-मण्डल के पास अपने संशोधनों सहित भेज देता है। राज्य विधानमण्डल इसको दुबारा संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधनों के पास कर देता है, राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। इस प्रकार विधेयक और संविधान संशोधन के विषयों में भी विधानसभा को अनेकानेक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

विधान परिषद
(Legislative Council)

राज्य विधान मण्डल के द्वितीय व उच्च सदन के रूप में विधान परिषद की भूमिका होती है। हालाँकि मध्यप्रदेश में केवल एक सदन विधानसभा ही है, परन्तु राज्य विधान मण्डल के विस्तृत अध्ययन के लिए विधान परिषद की जानकारी रखना भी आवश्यक है। जबकि विधानसभा राज्य विधान मण्डल या व्यवस्थापिका का निम्न या प्रथम सदन है, विधान-परिषद् इसका उच्च लेकिन द्वितीय सदन है। 10 दिसम्बर, 1986 को जम्मू तथा कश्मीर, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधानसभा के अतिरिक्त विधान-परिषदें बनायी गयीं बाकी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, असम, केरल, नगालैंड, बंगाल, पंजाब, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और आन्ध्रप्रदेश में केवल विधानसभाएँ ही हैं।

(1) **सदस्य संख्या** (No. of Membership)- संविधान में कहा गया है कि विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम न होगी और विधानसभा के तिहाई सदस्यों से अधिक न होगी। जिन राज्यों में विधान-परिषदें हैं, उनके सदस्यों की संख्या निम्नलिखित हैं-

(i)	बिहार	96
(ii)	जम्मू तथा कश्मीर	36
(iii)	कर्नाटक	63
(iv)	महाराष्ट्र	78
(v)	उत्तरप्रदेश	108
(vi)	आन्ध्रप्रदेश	58
(vii)	तेलंगाना	40

(2) **रचना** (Construction)- विधान परिषद की रचना निम्न प्रकार से होती है-

(i) कुल संख्या का बारहवाँ भाग ऐसे अध्यापकों द्वारा चुना जायेगा जो माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं अथवा उससे उच्च शिक्षा संस्थाओं अर्थात् कॉलेजों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और जिनको 3 वर्ष का या अधिक अनुभव है।

(ii) समस्त संख्या का बारहवाँ भाग ऐसे स्नातकों द्वारा चुना जायेगा जो भारत के किसी विश्वविद्यालय में कम-से-कम 3 वर्ष के स्नातक हैं।

(iii) समस्त सदस्यों का एक-तिहाई भाग उसी राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित है।

(iv) समस्त संख्या का तीसरा भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। विधानसभा के सदस्य इन सदस्यों को अपने में से न चुनकर बाहर से चुनेंगे।

Scanned with CamScanner

(v) शेष सदस्य अर्थात् कुल संख्या का छठवाँ भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जायेगा ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा और सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में विशेष योगदान हो। विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपाती प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनायी गयी है।

(3) **योग्यताएँ** (Qualifications)- विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित अर्हतायें होना आवश्यक हैं:

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो; और

(iii) ऐसी अन्य योग्यताएँ जो संसद की किसी विधि (कानून) द्वारा निर्धारित की जाएँ।

(4) **अवधि** (Tenure)- विधान परिषद् एक स्थायी संस्था है क्योंकि इसका विघटन (Dissolution) अवधि से पूर्व नहीं हो सकता है। पहले चुनाव के समय एक-तिहाई सदस्य 2 वर्ष के लिए, एक-तिहाई 4 वर्ष के लिए तथा एक-तिहाई 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके पश्चात् प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल या अवधि 6 वर्ष होगी। प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जायेंगे और उनके स्थान के लिए नये चुनाव होंगे। इसलिए यह एक स्थायी सदन है।

(5) **गणपूर्ति** (Quorum)- विधान-परिषदों की बैठकों के लिए समस्त संख्या का दसवाँ भाग या 10 सदस्य जो भी अधिक हों, उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि विधान-परिषद की किसी बैठक में इतनी उपस्थिति नहीं है तो वह वैध (Legal) बैठक नहीं समझी जायेगी।

(6) **पदच्युति** (Vacancy)- विधान-परिषद के सदस्यों को अपना त्याग-पत्र देने का अधिकार है। दूसरे, यदि कोई सदस्य इस सदन की आज्ञा के बिना 60 दिन तक इसकी सब बैठकों से अनुपस्थित रहे, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक राज्य में दोनों सदनों अर्थात् विधानसभा और विधान-परिषद का सदस्य नहीं बन सकता और न ही दो से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों का एक ही समय में सदस्य बन सकता है। यदि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के सदनों का सदस्य चुन लिया जाये तो या तो उसको एक राज्य के एक सदन की सदस्यता के अतिरिक्त अन्य विधान मण्डलों की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र देना पड़ता है, वरन राष्ट्रपति द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार निश्चित समय की समाप्ति पर उसके तमाम स्थान रिक्त घोषित कर दिए जायेंगे।

(7) **अयोग्यताएँ** (Disqualifications)- विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निम्नलिखित अयोग्यताएँ हैं-

(i) वह संघ सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन हो।

(ii) वह उन्मत्त (पागल) हो और किसी न्यायालय द्वारा उन्मत्त घोषित कर दिया गया हो।

(iii) वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो।

(iv) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा उसने दूसरे देश की नागरिकता अपनी इच्छा से प्राप्त कर ली है या उसको किसी कारण से किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखनी पड़ती है।

(v) यदि उसको संसद द्वारा बनाए हुए किसी कानून के अधीन अयोग्य (Disqualified) घोषित कर दिया गया हो।

Scanned with CamScanner

8. **विशेषाधिकार** (Privileges)- विधान-परिषद् के सदस्यों को भी विधानसभा के सदस्यों की भाँति अनेक अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अधिवेशन के दिनों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही सरकार की कड़ी आलोचना करने पर उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि उन्हें भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। उनके वेतन तथा भत्ते राज्य के विधान मण्डल द्वारा निश्चित किए जाते हैं।

9. **अधिवेशन**- विधान-परिषद के एक वर्ष में दो अधिवेशन अवश्य होने चाहिए। इसके पहले अधिवेशन की अन्तिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि में 6 महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिए। राज्यपाल इसके अधिवेशन को बुलाता है तथा समाप्त करता है।

10. **पदाधिकारी** (Office Bearers)- विधान-परिषद् को अपना सभापति तथा उप-सभापति चुनने का अधिकार होता है। उनको वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से दिये जाते हैं। जैसे ही कोई सदस्य विधान-परिषद् का सभापति तथा उप-सभापति निर्वाचित हो जाता है, उसको अपने पद से सक्रिय भाग लेना बन्द करना पड़ता है। उसे निष्पक्षता धारण करनी पड़ती है और दलबन्दी से अलग रहना पड़ता है। विधान-परिषद के सभापति तथा उप-सभापति अपना त्याग-पत्र दे सकते हैं। यदि उन दोनों में कोई भी विधान-परिषद का सदस्य नहीं रहेगा, तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। उनको विधान-परिषद के समस्त सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है, परन्तु ऐसे प्रस्ताव के लिए कम-से-कम 14 दिन की सूचना देनी पड़ेगी। जब सभापति तथा उप-सभापति के हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो तो वह विधान-परिषद् की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा। सभापति विधान-परिषद् की बैठकों का सभापतित्व करता है और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति इसकी बैठकों का सभापतित्व करता है। वह सदन में शांति स्थापति करता है। उसको साधारणतया वोट देने का अधिकार नहीं है, परन्तु जब किसी प्रस्ताव पर मत समान हो जाएँ तो अपना निर्णायक मत दे सकता है।

विधान-परिषद् की शक्तियाँ (Powers of Cabinet)- विधान-परिषद् विधानसभा की अपेक्षा एक निर्बल सदन है। वित्तीय मामलों में सारी वास्तविक शक्तियाँ विधानसभा के पास हैं। कोई भी धन-विधेयक सबसे पहले विधानसभा में रखा जाता है। यह विधान परिषद् में सबसे पहले नहीं रखा जाता है। जब विधानसभा किसी धन-विधेयक को पास कर चुकी होती है, तो विधान परिषद् की सिफारिशों के लिए उसे भेजा जाता है। यह विधान-परिषद इस विधेयक को केवल 14 दिन के लिए विलम्बित कर सकती है। इसके पश्चात् विधान-परिषद अपनी सिफारिशों सहित इस विधेयक को वापस लौटा देती है। यह विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है कि इन सिफारिशों को माने या न माने। यदि 14 दिन की अवधि तक विधान-परिषद किसी विधेयक पर कोई कार्यवाही न करे, तो उस अवधि के पश्चात् विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इससे स्पष्ट है कि वित्तीय मामलों में विधान-परिषद् के पास कुछ शक्ति नहीं है।

अवित्तीय मामलों में भी सारी शक्तियाँ विधानसभा के पास हैं। विधान-परिषद किसी साधारण विधेयक को स्वीकार कर सकती है या 3 मास तक बिना किसी कार्यवाही के विलम्बित कर सकती है। इसके पश्चात् यदि विधानसभा उस विधेयक को संशोधनों सहित अथवा बिना संशोधनों के दुबारा पास कर देती है, तो विधेयक विधान-परिषद को फिर दोबारा भेजा जाता है। यदि विधान-परिषद् इस विधेयक को फिर दोबारा अस्वीकार कर देती है अथवा संशोधित कर देती है या इस पर एक मास तक कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है इससे स्पष्ट है कि विधान-परिषद् किसी साधारण विधेयक को केवल चार मास के लिए विलम्बित कर सकती है।

विधान-परिषद् का कार्यकारिणी पर नियंत्रण बहुत थोड़ा है। वास्तविक कार्यकारिणी (मंत्रिमण्डल) केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधान-परिषद् मंत्रिमण्डल को अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकती है। विधान-परिषद् के सदस्य केवल प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और सरकार की कड़ी आलोचना भी कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

राज्य-विधान मण्डल की शक्तियाँ एवं कार्य (Powers and Functions of State Legislature)

राज्य विधान-मण्डल एक सदन विधानसभा या दो सदन राज्य विधानसभा व राज्य विधान परिषद से मिलकर बनता है। दोनों सदनों की संयुक्त रूप से शक्तियों व कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है-

1. **विधायी शक्तियाँ** (Legislative Powers)- प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल को 62 राज्य सूची के विषयों पर व 52 समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची के सभी विषयों पर राज्य-विधानमण्डल कानून बना सकता है, परन्तु कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर विधि निर्माण करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। कुछ विधेयक राज्य विधान-मण्डल में प्रस्तावित किये जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जाती है।

इस प्रकार राज्य विधानपालिका संसद के समान विधि निर्माण के क्षेत्र में सर्वशक्तिशाली नहीं है, पर फिर भी राज्य के लिये यह कानून निर्मात्री संस्था है। राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ सही अर्थों में तो राज्य विधानसभा में ही निहित हैं। साधारण विधेयक यद्यपि दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन अधिकांशतः विधेयक राज्य विधानसभा में ही पेश होते हैं। यदि विधानमण्डल द्विसदनात्मक है तो विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद के पास जाता है। विधान परिषद यदि उसे रद्द कर दे या तीन माह तक उस पर कोई कार्यवाही न करे या उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो, तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पास कर सकती है। दोबारा पास करने के पश्चात् उसे पुनः विधान परिषद के पास भेजा जाता है। यदि विधान परिषद उस बिल पर दोबारा एक महीने तक कोई कार्यवाही न करे, या उसे रद्द कर दे या उसमें संशोधन कर दे जो विधानसभा को स्वीकार न हो, तो तीनों अवस्थाओं में यह बिल दोनों सदनों द्वारा पास समझा जायेगा। यदि कोई बिल विधान परिषद में प्रस्तुत होता है, तो वहाँ से पास होकर उसे राज्य विधानसभा में भेजा जाता है, किन्तु यदि विधानसभा उसे रद्द कर दे तो वह विधयेक रद्द मान लिया जाता है। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में विधानसभा ही कानून का निर्माण करती है।

(2) **कार्यपालिका पर नियंत्रण**- राज्य की कार्यपालिका राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फलस्वरूप राज्य विधानसभा का मंत्रिपरिषद के ऊपर पूरा नियंत्रण रहता है। कार्यपालिका के संबंध में जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है वहाँ राज्य परिषद की शक्ति काफी सीमित है, क्योंकि कार्यपालिका केवल राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अतः राज्य परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछ सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं पर उसे हटा नहीं सकते।

(3) **चुनाव संबंधी कार्य**- राज्य विधानसभा के सदस्य चुनाव संबंधी कार्य भी करते हैं जैसे-

(i) विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार विधान परिषद को प्राप्त नहीं है।

(ii) विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं।

(iii) विधानसभा के सदस्य ही राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं।

(4) **संवैधानिक कार्य**- संविधान में संशोधन करने का अधिकार 'अनुच्छेद 368' के अन्तर्गत संसद को प्राप्त है। राज्य विधानमण्डलों को संविधान में संशोधन करने की कोई महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त नहीं है।

(5) **वित्तीय शक्तियाँ**- राज्य के वित्त पर विधानसभा का पूरा नियंत्रण होता है 'अनुच्छेद 198' के अनुसार वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किये जा सकते उन्हें केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधानसभा की अनुमति के बिना न तो कोई कर लगाया, घटाया या बढ़ाया जा सकता है और न ही राज्य का धन व्यय किया जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से पहले राज्यपाल विधानसभा में आगामी वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का ब्यौरा वित्त मंत्री द्वारा बजट के रूप में पेश करवाता

Scanned with CamScanner

विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है यदि विधान मण्डल द्विसदनीय है तो विधान परिषद उस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन बाद चाहे विधान परिषद ने उस बिल को रद्द ही क्यों न कर दिया हो, वह विधेयक पास मान लिया जायेगा। उसके बाद वह राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है, जिसे धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है।

(6) **अन्य कार्य**- राज्य विधानमण्डल को कुछ अन्य कार्य भी सौंपे गये हैं जो निम्नलिखित हैं-

(i) यदि कोई सदस्य विधानसभा का अनुशासन भंग करता है और सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक नहीं चलने देता, तब सदन उस सदस्य को सदन से निलम्बित कर सकता है।

(ii) विधानसभा विरोधी दल के नेता को विशेष स्थिति प्रदान करने के लिये विधेयक पास कर सकती है।

(iii) राज्य की विधानसभा किसी व्यक्ति को सदन के विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर दण्ड दे सकती है।

(iv) विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की प्रार्थना कर सकती है।

(v) विधानसभा विधान परिषद के साथ मिलकर लोक सेवा आयोग की शक्तियों को बढ़ा सकती है।

इस प्रकार राज्य विधान मण्डल को अनेकानेक शक्तियाँ प्राप्त हैं।

राज्य विधान मण्डल में कानून बनाने की प्रक्रिया
(Procedure of Law-Making in State Legislature)

सामान्यतः विधेयक दो प्रकार के होते हैं। धन विधेयक और साधारण विधेयक। राज्य विधान मण्डल को दोनों क्षेत्रों में निम्न प्रकार से शक्तियाँ प्राप्त हैं-

(1) **धन विधेयक** (Money Bills)-धन विधेयकों का सम्बन्ध कर लगाने, हटाने, कम करने, बढ़ाने और अन्य खर्चों से होता है। धन-विधेयकों के सम्बन्ध में विधानसभा को सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं और विधान परिषद के पास कुछ भी वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। धन विधेयक केवल विधानसभा में आरम्भ हो सकता है। विधानसभा के सदस्य इसमें कोई कटौती कर सकते हैं, परन्तु वे किसी रकम को बढ़ा नहीं सकते। धन-विधेयक वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। वित्त मंत्री इसको पहली अप्रैल से पूर्व विधानसभा के सामने पेश करता है। बजट के दो भाग होते हैं। पहले भाग में वह खर्चा दिखाया जाता है जो राज्य की संचित निधि से किया जाता है। संचित निधि से होने वाले खर्चों के लिए विधानसभा से मत लेने की आवश्यकता नहीं है। शेष सभी खर्चे अनुदानों के लिए माँगों (Demands for Grants) के रूप में पेश किए जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों को उन माँगों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने या कम करने का तो अधिकार है, परन्तु किसी माँग को बढ़ाने का अधिकार नहीं है। विधानसभा के सदस्य उनमें कोई नयी माँग भी नहीं जोड़ सकते हैं। अनुदान के लिए कोई भी माँग राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा के सामने नहीं रखी जायेगी। ज्योंही विधानसभा ने 'अनुदान के लिए माँगें' स्वीकार कर लीं, त्योंही उनको तथा संचित-निधि से होने वाले खर्चे को विनियोग विधेयक के रूप में पेश किया जाता है और विधानसभा उसको औपचारिक रूप में पास कर सकती है। विशेष कर लगाने, बढ़ाने या कम करने के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्थापनाएँ विधानसभा के सदस्यों को किसी कर को स्वीकार, अस्वीकार या कम करने का अधिकार है, परन्तु उन्हें नये करों को लागू करने, हटाने अथवा बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। नये कर लगाने अथवा पुराने करों को बढ़ाने के लिए सारी

Scanned with CamScanner

तजबीजें केवल वित्त मंत्री द्वारा ही रखी जा सकती हैं। इस प्रकार जब दोनों धन-विधेयक विधानसभा द्वारा पास कर दिये जाते हैं तो वे विधान-परिषद को 14 दिन के अन्दर संशोधन के लिए सिफारिशें करने का अधिकार है परन्तु यह विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है कि वह इन सिफारिशों को माने या न माने। इसके पश्चात् विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल धन विधेयक पर स्वीकृति देने से इन्कार नहीं कर सकता है। राज्यपाल के हस्ताक्षरों के पश्चात् वह विधेयक कानून बन जायेगा। इस प्रकार धन विधेयक राज्य विधान मण्डल में पारित किया जाता है।

(2) **साधारण विधेयक** (Ordinary Bills)- साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं- निजी सदस्य विधेयक और सरकारी विधेयक। साधारण विधेयकों का सम्बन्ध करों के लगाने, बढ़ाने अथवा घटाने से नहीं होता है। साधारण विधेयक न केवल मंत्रियों बल्कि विधानसभा या विधान-परिषद् के सदस्यों द्वारा भी रखे जा सकते हैं। साधारण विधेयक राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन से आरम्भ किए जा सकते हैं अर्थात् वे सबसे पहले विधानसभा में नहीं बल्कि विधान-परिषद् में भी रखे जा सकते हैं।

राज्य विधान मण्डल में विधि निर्माण प्रक्रिया- विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्य विधान मण्डल में निम्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है—

(1) **प्रथम पठन-** निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर संबंधित बिल को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा माँगता है और इसके पश्चात् विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है। यदि बिल बहुत महत्वपूर्ण है तो उसको पेश करने वाला उस बिल की अच्छाइयों के सम्बन्ध में एक संक्षिप्त भाषण भी दे सकता है। यदि उस सदन में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे, तो वह प्रस्ताव स्वीकृत समझा जाता है। इसके पश्चात् इस विधेयक को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है।

(2) **द्वितीय पठन-** पहले पठन के बाद पेश करने वाला व्यक्ति यह प्रस्ताव रखता है कि उसके विधेयक का दूसरा पठन किया जाए। इस अवस्था में बिल की प्रत्येक धारा पर गर्मागर्म बहस नहीं होती है, बल्कि केवल उसके साधारण सिद्धान्तों पर ही विचार होता है। जब इस प्रकार बहस के पश्चात् कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है।

प्रवर समिति अवस्था- दूसरे पठन के पश्चात् विवादपूर्ण विधेयकों को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाता है। इसमें विधानमण्डल के 25 से 30 तक सदस्य शामिल होते हैं। इस अवस्था में विधेयक की प्रत्येक धारा की गहरी छानबीन की जाती है। अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था में रखे जाते हैं और अन्त में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

प्रतिवेदन अवस्था- प्रवर समिति द्वारा रखे हुए प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है और इसके द्वारा रखे हुए प्रत्येक सुझाव पर सदन द्वारा मतदान होता है। सदन के सदस्यों को भी अपने सुझाव देने का अधिकार होता है। इस तरह बिल की प्रत्येक धारा पर विचार और बहस करके विधेयक पास कर दिया जाता है।

(3) **तृतीय पठन-** इस अवस्था में किसी विधेयक में बहुत अधिक तबदीलियाँ नहीं की जा सकती हैं। विधेयक के साधारण सिद्धान्तों पर बहस की जाती है और भाषा सम्बन्धी अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। इस अवस्था में बिल प्रायः अस्वीकार नहीं किया जाता है।

(4) **विधेयक दूसरे सदन में-** जब एक सदन किसी विधेयक को पास कर देता है तो यह दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। जिन राज्यों में केवल एक सदन है, वहाँ पर विधेयक विधानसभा द्वारा पास होने के पश्चात् राज्यपाल (गवर्नर) के पास भेज दिया जाता है। जिन राज्यों में दो सदन हैं, वहाँ पर विधेयक को इन्हीं सारी अवस्थाओं में से दुबारा गुजरना पड़ता है जिनमें से यह पहले गुजरा था। जब एक विधेयक को विधानसभा पास कर देती है तो ।वधान-परिषद् उसको पास कर सकती है या अस्वीकार कर सकती

Scanned with CamScanner

है अथवा यह ऐसे सुझाव पेश कर सकती है जिनसे विधानसभा सहमत न हो, परन्तु विधान परिषद के सुझावों को मानना न मानना विधानसभा की स्व इच्छा पर निर्भर है।

(5) **राज्यपाल की अनुमति-** जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है तो वह राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर या तो अपने हस्ताक्षर कर देता है या उसको विधान मण्डल के पास दुबारा विचार करने के लिए अपने संशोधनों सहित भेज देता है। यदि राज्य विधान मण्डल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधनों सहित अथवा उनके बिना दुबारा पास कर देता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी। राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात् वह विधेयक कानून बन जाएगा। कई बार राज्यपाल कुछ विशेष प्रकार के बिलों को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लेता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे बिल कानून बन जाते हैं।

इस प्रकार राज्य विधान मण्डल में कोई विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है।

राज्य व्यवस्थापिका अथवा विधानमण्डल की शक्तियों की परिसीमाएँ
(Limitations on the Powers of the State Legislature)

यद्यपि राज्य विधानमण्डलों को बहुत व्यापक शक्तियाँ दी गयी हैं तथापि वे अप्रभु संस्थाएँ हैं, उनको संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य विधानमण्डल को समवर्ती-सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, परन्तु यदि इसका कोई कानून संसद् के कानून का विरोधी है तो संसद का कानून लागू किया जायेगा और राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाया हुआ कानून उस हद तक रद्द समझा जायेगा जहाँ तक यह संसद के कानून का विरोधी है। राज्य विधान मण्डल को संघ सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

बहुत से विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किये जा सकते। उदाहरणार्थ ऐसे विधेयक जिनका सम्बन्ध दूसरे राज्यों अथवा राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (Intercourse) पर रुकावट लगाने से है, उनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व-सहमति लेना अनिवार्य है। कुछ राज्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। इसलिए राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए ऐसे विधेयकों को आरक्षित करता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसे विधेयक कानून नहीं बन सकते। इस प्रकार अनेक शक्तियों के बाद भी कहीं न कहीं राज्य विधान मण्डल पर भी प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं।

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष (प्रारम्भ से अब तक)

क्रम	अध्यक्ष का नाम	कार्य की अवधि
1.	पण्डित कुन्जीलाल दुबे	01.11.1956 से 07.03.1967
2.	श्री काशी प्रसाद पाण्डे	24.03.1967 से 24.03.1972
3.	श्री तेजलाल टेम्भरे	25.03.1972 से 10.08.1972
4.	श्री गुलशेर अहमद	14.08.1972 से 14.07.1977
5.	श्री मुकुन्द सखाराम नेवालकर	15.07.1977 से 02.07.1980

Scanned with CamScanner

6.	श्री यज्ञदत्त शर्मा	03.07.1980 से 19.07.1980
7.	श्री रामकिशोर शुक्ल	20.07.1983 से 13.03.1985
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल	25.03.1985 से 15.03.1990
9.	प्रो. बृजमोहन मिश्रा	15.03.1990 से 23.12.1993
10.	श्री श्रीनिवास तिवारी	24.12.1993 से 07.12.2003
11.	श्री ईश्वरदास रोहाणी	08.12.2003 से 05.11.2013
12.	डॉ. सीताशरण शर्मा	जनवरी 2014 से अब तक

मध्यप्रदेश विधानसभा में विरोधी पक्ष

(Opposition in M.P. Legislative Assembly)

संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक दल शासन का अभिन्न अंग है। हमेशा ही एक दल सत्तारूढ़ होता है, तो दूसरा दल उसका विरोधी होता है। सत्तापक्ष व विरोधी दल संसदीय लोकतंत्र रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान हैं। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार सत्ताधारी दल व विरोधी दल दोनों की राज्य विधान मण्डल में अहम् भूमिका होती है।

विरोधी दल अर्थात ऐसा राजनीतिक दल जो कि सत्ताधारी दल की नीतियों से सहमत न होकर उसकी नीतियों व कार्यक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी गल्तियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है और यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि विरोधी दल की नीतियाँ व कार्यक्रम सत्तारूढ़ दल से श्रेष्ठ हैं।

मध्यप्रदेश में भी समय-समय पर विरोधी दल द्वारा सरकार पर दबाव डालकर, प्रश्न पूछकर, आदि विविध तरीकों से शासनतंत्र को अधिक कुशलतापूर्वक चलाने के लिए प्रेरित किया गया है। 1977 के पूर्व विरोधी दल के रूप में अनेक दल रहे, परन्तु 1977 के बाद जनता पार्टी एक शक्तिशाली सत्ताधारी के रूप में उभरी तो कांग्रेस ने प्रबल विरोधी दल की भूमिका अदा की। इसके बाद 10वीं एवं 11वीं विधानसभा में भाजपा ने विरोधी दल की भूमिका अदा की और वर्तमान 14वीं विधानसभा में (2013 से) भाजपा सत्ताधारी दल व कांग्रेस विरोधी दल के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही है। इस प्रकार विरोधी दल व उसके नेता (अध्यक्ष) द्वारा सत्ताधारी दल पर अंकुश लगाकर शासन की नीतियों को सही व अचूक बनाया जाता है।

Scanned with CamScanner